



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)  
U.P. POWER CORPORATION LIMITED  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या: 35-अ.प्र.-04 / पाकालि / 2009-9(23) / 89

दिनांक: सितम्बर 23, 2009.

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 27-अ.प्र.-04 / पाकालि / 2009-9(23) / 89 दिनांक 08.08.2009 द्वारा अभि. अनिल कुमार पाण्डेय (88147), प्रतापगढ़, बी0ई0 (इलेक्ट्रिकल), सहायक अभियन्ता के विद्युत भण्डार मण्डल, लखनऊ अंतर्गत मध्यान्वल विद्युत वितरण निगम लि. से पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि0 को किये गये स्थानान्तरण आदेश को संशोधित करते हुये एतद्वारा, विशेष ऊर्जा अनुबन्ध एवं टैरिफ मण्डल, लखनऊ में तैनात किया जाता है।

2. उक्त तैनाती के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 79 / 1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
3. इकाई प्रमुख/नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 5910-गोपन(06) / पाकालि / 2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 35(1)अ.प्र.-04 / पाकालि / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र.शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्वल विद्युत वितरण निगम लि., 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि., पोस्ट-डी0एल0डब्लू0, वाराणसी।
4. मुख्य अभियन्ता, ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निदेशालय, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विशेष ऊर्जा अनुबन्ध एवं टैरिफ मण्डल (SPAT), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, मध्यान्वल विद्युत वितरण निगम लि. लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, आर.पी.एम.ओ. / कम्प्यूटराइजेशन इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशकगणों के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि.शक्ति भवन, लखनऊ।
9. पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन, लखनऊ।
11. विधि अधिकारी, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अनु सचिव (गोपन) / उप सचिव (03) उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
14. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से,

(बी0बी0श्रीवास्तव)  
उप सचिव



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या: 32-अ.प्र.-04 / पाकालि / 2009-9(174) / 95

दिनांक: सितम्बर 15, 2009.

## कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को कार्य हित में स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित इकाई को आवंटित किया जाता है :-

क्रम सं.	सहायक अभियन्ता का नाम, अभि. संख्या, गृह जनपद एवं शैक्षिक योग्यता	वर्तमान तैनाती इकाई	नव आवंटित इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव, 89105, बिहार बी.ई. (इलेक्ट्रानिक्स)	सहायक अभियन्ता (राजस्व), विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर (पूर्वान्ध्र विद्युत वितरण निगम लि.)	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि।
2.	उक्त तैनाती के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।		
3.	इकाई प्रमुख/नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।		
4.	नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाक्षरण सुनिश्चित करता है।		

## अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 32(1)अ.प्र.-04 / पाकालि / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र.शासन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्ध्र विद्युत वितरण निगम लि., पोर्ट-डी0एल0डब्लू0, वाराणसी।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर क्षेत्र, पूर्वान्ध्र विद्युत वितरण निगम लि. गोरखपुर।
- मुख्य अभियन्ता, आर.पी.एम.ओ./कम्प्यूटराइजेशन इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशकगणों के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन, लखनऊ।
- पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन, लखनऊ।
- विधि अधिकारी, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव (गोपन), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से,

(बी0बी0श्रीवास्तव)  
उप सचिव



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या: 34-अ.प्र.-04 / पाकालि / 2009-9(58) / 07

दिनांक: सितम्बर 15, 2009.

## कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को कार्य हित में स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित इकाई को आवंटित किया जाता है :-

क्रम सं.	सहायक अभियन्ता का नाम, अभि. संख्या, गृह जनपद एवं शैक्षिक योग्यता	वर्तमान तैनाती इकाई	नव आवंटित इकाई
1	2	3	4
1.	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा 2005297 मेरठ ए.एम.आई.ई. (इलेक्ट्रिकल)	सहायक अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड, मथुरा (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.)	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. (मेरठ जनपद से अन्यत्र तैनाती हेतु)

- स्थानान्तरण नीति के पैरा 2.12 के अनुसार उपरोक्त सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण स्वेच्छा पर होने के कारण स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमत्य नहीं होगा।
- उक्त तैनाती के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- इंकाई प्रमुख/नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

## अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 33(1)अ.प्र.-04 / पाकालि / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र.शासन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., विकटोरिया पार्क, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि., विद्युत भवन, गैलाना रोड, आगरा।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), आगरा क्षेत्र, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि., आगरा।
- मुख्य अभियन्ता, आर.पी.एम.ओ./कम्प्यूटराइजेशन इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशकगणों के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन, लखनऊ।
- विधि अधिकारी, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव (गोपन), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से,

(बीबी०श्रीवारस्तव)

उप सचिव



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या: 29-अ.प्र.-04 / पाकालि / 2009-9(22) / 09

दिनांक: सितम्बर 15, 2009.

## कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को कार्य हित में स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित इकाई को आवंटित किया जाता है :-

क्रम सं.	सहायक अभियन्ता का नाम, अभि. संख्या, गृह जनपद एवं शैक्षिक योग्यता	वर्तमान तैनाती इकाई	नव आवंटित इकाई
1	2	3	4
1.	श्री गोपाल कृष्ण भार्गव, 2009022 लखनऊ, डिप्लोमा (मैकेनिकल)	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि.	पारेषण – दक्षिण (कानपुर में तैनाती हेतु)

- स्थानान्तरण नीति के पैरा 2.12 के अनुसार उपरोक्त सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण स्वेच्छा पर होने के कारण स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- उक्त तैनाती के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- इकाई प्रमुख/नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 5910-गोपन(06) / पाकालि / 2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाक्षर करता है।

## अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 29(1)अ.प्र.-04 / पाकालि / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र.शासन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), लखनऊ क्षेत्र, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता, पारेषण-दक्षिण, उ.प्र.पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता, पारेषण-दक्षिण-दक्षिण, उ.प्र.पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि., आगरा।
- मुख्य अभियन्ता, आर.पी.एम.ओ./कम्प्यूटराइजेशन इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशकगणों के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन, लखनऊ।
- पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- समर्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन, लखनऊ।
- विधि अधिकारी, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव (गोपन), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से,

(बी0बो०श्रीवास्तव)  
उप सचिव



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)  
 U.P. POWER CORPORATION LIMITED  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या: 31-अ.प्र.-04 / पाकालि / 2009-9(68) / 93

दिनांक: सितम्बर 15, 2009.

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को कार्य हित में स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित इकाई को आवंटित किया जाता है :—

क्रम सं.	सहायक अभियन्ता का नाम, अभि. संख्या, गृह जनपद एवं शैक्षिक योग्यता	वर्तमान तैनाती इकाई	नव आवंटित इकाई
1	2	3	4
1.	श्री अतुल कुमार मित्तल, 91062, इलाहाबाद बी.ई. (मैकेनिकल)	सहायक अभियन्ता., बैंक आफिस, शक्ति भवन (मु0) लखनऊ	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि मेरठ (असंवेदनशील सम्बद्ध पद पर तैनाती हेतु)

- स्थानान्तरण नीति के पैरा 2.12 के अनुसार उपरोक्त सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण स्वेच्छा पर होने के कारण स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमत्य नहीं होगा।
- उक्त तैनाती के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- इकाई प्रमुख/नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाक्षर का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 31(1)अ.प्र.-04 / पाकालि / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र.शासन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., विकटोरिया पार्क, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (सम्बद्ध), अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (बैंक आफिस), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता, आर.पी.एम.ओ./कम्प्यूटराइजेशन इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशकगणों के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उ.प्र.पा.का.लि. शक्ति भवन, लखनऊ।
- विधि अधिकारी, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव (गोपन), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से,  
 (बी0बी0श्रीवास्तव)  
उप सचिव